

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराह्न 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।

(यशपाल सिंह लोधी)

सदस्य/, विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-03),
मेरठ।

(चन्द्र शेखर मिश्रा)

सदस्य/ विशेष न्यायाधीश
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।

(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

सैशन हाउस, मेरठ को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 4,00,000-00 रु० का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली अवधि में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।

(यशपाल सिंह लोधी)

सदस्य/, विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-03),
मेरठ

(चन्द्र शेखर मिश्रा)

सदस्य/ विशेष न्यायाधीश
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।

(अचल नारायण सकलानी)

अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०-01, मेरठ।

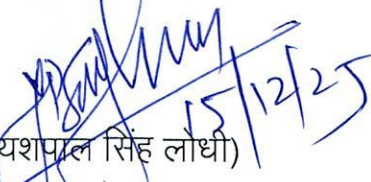
प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

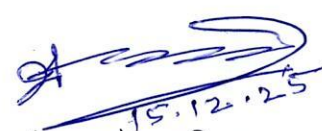
- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रैप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।


(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-03),
मेरठ।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

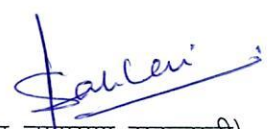
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारात, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।


(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-न्यायालय सं0-03),
मेरठ।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

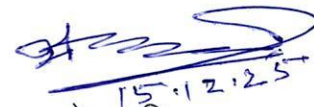
- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारात, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।


(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य/, विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-न्यायालय सं0-03),
मेरठ।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

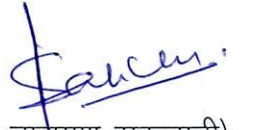
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।


(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-न्यायालय सं0-03),
मेरठ।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

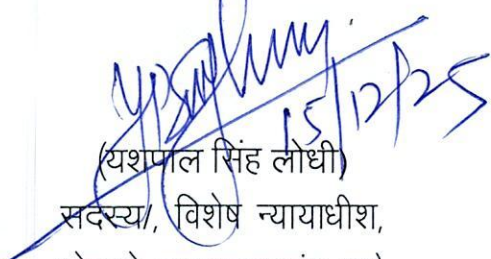
प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

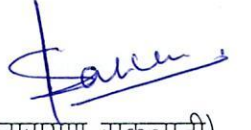
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती है।


(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य, विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-न्यायालय सं0-03),
मेरठ।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।


(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य, विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-न्यायालय सं0-03),
मेरठ।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

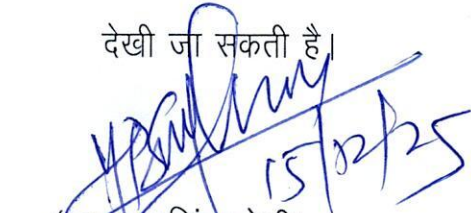
प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

जनपद मेरठ में स्थित सेशन हाउस भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2026 की अपराह्न 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 2,00,000-00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली तिथि से अन्दर 20 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती हैं।


(दशपाल सिंह लोधी)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
(पोक्सो-न्यायालय सं0-03),
मेरठ।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/ विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।